

उत्तीसगढ़ शासन,
वाणिज्य एवं उद्योग, ग्रामोद्योग तथा
औद्योगिक उपकरण विभाग:

रायपुर, दिनांक 20/7/2001

:: अधिसूचना ::

क्रमांक 344/116/ग्रामोद्योग/2001 :- मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000
{ 28 से 2000 } की धारा 79 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में
लाते हुए राज्य सरकार, एतद द्वारा, निम्नलिखित आदेश बनाती है, अर्थात्:-
:: आदेश ::

1. { 1 } इस आदेश का संक्षिप्त नाम विधियों का अनुकूलन आदेश, 2001 है।
- { 2 } यह नवम्बर, 2000 के प्रथम दिन से सम्पूर्ण उत्तीसगढ़ राज्य पर
लागू होगा।

2. इस आदेश की अनुसूची में, समय समय पर, यथा संशोधित ऐसी
विधियाँ जो उत्तीसगढ़ राज्य की संरचना के अव्यवहित पूर्व
मध्यप्रदेश राज्य में प्रवृत्त थीं, एतद द्वारा, तब तक उत्तीसगढ़
राज्य में विस्तारित की जाती है तथा प्रवृत्त रहेंगी जब तक
कि वे निरसित या संशोधित न कर दी जायें। उपान्तरणों के
अवधि में रहते हुए समस्त विधियों में शब्द "मध्यप्रदेश" जहाँ
कहीं भी वह आया हो, के स्थान पर शब्द "उत्तीसगढ़"
स्थापित किये जाएँ।

3. अनुसूची में विनिर्दिष्ट विधियों द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त
शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए कोई भी बात या की गयी कोई
कार्रवाई / किसी निष्चित, अधिसूचना, सूचना, आदेश, नियम,
प्रत्येक, विनियम प्रमाण पत्र या अनुज्ञप्ति को सम्मानित करते हुए
उत्तीसगढ़ राज्य में लगातार प्रवृत्त रहेंगी।

अनुसूची

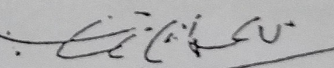
विधियों के नाम

1 1

2 2

1. मध्यप्रदेश ग्रामोद्योग अधिनियम, 1978
2. मध्यप्रदेश ग्रामोद्योग संशोधन अधिनियम, 1979.
3. मध्यप्रदेश ग्रामोद्योग नियम, 1980.
4. मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग विनियमन, 1980.
5. मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग भविष्य निधि नियम, 1963
6. मध्यप्रदेश ग्रामोद्योग फंड लोका अधिनियम, 1978.

उत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम
तथा आदेशानुसार,


{ एस.के. बेहार }

संयुक्त सचिव,

उत्तीसगढ़ शासन,

ग्रामोद्योग विभाग उ.प्र.